संख्या– /XV–2/11(11)/2011(मत्स्य)

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपागी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
मत्स्य विभाग,
देहरादून।

2. **सचिव,**
उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांकः 16 जून, 2014ः**

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्ति पर रहें डा0 आर0सी0 पोखरियाल, सहायक निदेशक मत्स्य के पेंशन अंशदान/अवकाश अंशदान की अवशेष धनराशि जमा कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–305/XV-2/1(20)/2005, दिनांक 23.12.2005 के द्वारा डा0 आर0सी0 पोखरियाल की उपनिदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के निःसंवर्गीय पद पर की गयी प्रोन्नति को कार्यालय ज्ञाप संख्या–1307/XV-2/1(20)/2005, दिनांक 04.11.2011 द्वारा अभिकरण के एक स्तर उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती मानते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि व्यतीत होने के फलस्वरूप डा0 आर0सी0 पोखरियाल को उनके मूल विभाग मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया था। शासन के पत्र संख्या–815/XV-2/11(11)/2011, दिनांक 30.07.2012 के क्रम में डा0 आर0सी0 पोखरियाल की प्रतिनियुक्ति अवधि में से 5 वर्ष के पेंशन अंशदान/अवकाश अंशदान की धनराशि जमा कराई जा चुकी है एवं शेष अवधि दिनांक 01.01.2011 से 30.12.2011 तक की अवधि के पेंशन अंशदान/अवकाश अंशदान जमा कराये जाने शेष है।

अतः श्री राज्यपाल वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 मूल नियम 115 एवं 116 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण में उपनिदेशक मत्स्य के निसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पद पर रहे डा0 आर0सी0 पोखरियाल, सहायक निदेशक मत्स्य की 5 वर्ष से अतिरिक्त अवधि (दिनांक 01.01.2011 से 30.12.2011) तक के पेंशन अंशदान/अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान की निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2/–

अवकाश वेतन और पेंशन के लिए अंशदानों का भुगतान :– वाह्य सेवा की अवधि में डा0 आर0सी0 पोखरियाल राज्य सरकार के अवकाश और पेंशन सम्बन्धित नियमों द्वारा ही नियंत्रित होंगे।

प्रश्नगत वाह्य सेवा की अवधि में डा0 आर0सी0 पोखरियाल के संबंध में अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1, भाग–2 से 4 के मूल नियम 115 व 116 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा। उक्त देय अंशदानों का भुगतान डा0 आर0सी0 पोखरियाल अथवा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण जैसी भी स्थिति / सहमति हों, द्वारा किया जाएगा। सहायक नियम–185 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। उक्त अंशदान की वसूली व लेखे–जोखे के रख–रखाव के लिए सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तरदायी होंगे।

चूंकि अंशदानों का भुगतान ससमय सुनिश्चित नहीं हुआ है ऐसी दशा में पूर्वोक्त सहायक नियम–185 में निर्धारित दर से अंशदानों पर ब्याज अभिकरण द्वारा देय होगा। यह अंशदान अभिकरण द्वारा महालेखाकार को बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से भेजा जायेगा। यदि भुगतान चेक से किया जाता है तो चेक को क्रास कर दिया जाये।

भवदीय,

/

(पी0एस0 जंगपांगी)
सचिव।

संख्या– 97 /**XV–2/11(11)/2011(मत्स्य) तददिनांक**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित को।
4. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।